07/11/26

पत्रावली पेश/वकील पक्षकार [illegible] [illegible]
[illegible] में प्रकाशित किया जाना है [illegible] [illegible]
[illegible] के लिये [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible]
पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible]

पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ, मुण्डावर द्वारा कार्य
स्थगन किए जाने का प्रस्ताव दिया है। पत्रावली वास्ते
आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक..................
पेश हो।

रीडर

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
48 / 2023	10.04.2023	07.01.2026

बउनवान

1. दया देवी पत्नी योगेश जाति ब्राहमण निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. उर्मिला देवी पत्नी रामोतार
2. मिन्तरा देवी पत्नी रमेशचन्द
3. रामोतार पुत्र श्री रगबीर जातियान ब्राहमण निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. श्रीमान उपपंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. श्रीमान सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड शाखा सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड शाखा सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी वकील –: श्री मनोज प्रजापत
अप्रार्थी वकील –: श्री गंगाराम पटेल

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थीनी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र मे मिन प्रार्थीनी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीनी का केस प्रायमा फेसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 122 / 0.56 है0, 124 / 0.59 है0, 128 / 0.59 है0, 129 / 0.82 है0, 123 / 0.44 है0, 87 / 0.50 है0, 113 / 0.01 है0, 114 / 0.01 है0, 115 / 0.54 है0, 112 / 0.56 है0, वाके ग्राम खुशालबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थीनी और अप्रार्थी सं० 1 व 10 की सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकोर्ड में

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सामलात में खातेदारी का अंकन है, और सामलात में ही आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी मिन प्रार्थीनी और अप्रार्थी सं० 1 ल0 10 की अबट आराजी है, जिसका आज तक कोई लिखीत व मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है। तथा सामलाती आराजी का हर खातेदार का हर इंच इंच पर कब्जा कानूनन माया जाता है।

5. यह है कि उक्त विवादित आराजी पर मिन प्रार्थीनी सामलात में अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रही है, तथा प्रार्थीनी गरीब औरत है तथा अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 के मन में बेईमानी आयी हुयी है, और उक्त आराजी जो सामलाती आराजी है, जिसमें मिन प्राथर्थीनी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है, मिन प्रार्थीनी को बेदखल करने पर उतारू है। तथा उक्त आराजी के अच्छे अच्छे हिस्से पर निर्माण करने व रहन बैय मुन्तकिल करने पर उतारू हो रहे है जबकि मिन प्रार्थीनी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है जिसकी रक्षार्थ हेतू मिन प्रार्थीनी उक्त सामलाती आराजी में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का बाद कुरेजात के बंटवारा कराने की अधिकारी है। जिस हेतू प्रार्थना पत्र तकासमा पेश करना लाजिम आया है।
6. यह है कि दिनांक 28/03/2023 को मिन प्रार्थीनी अपने सामलाती हिस्से पर काश्त कार्य कर रही थी तो अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 आपस में साज बाज होकर आये और आकर मिन प्रार्थीनी को आराजी से बेदखल करने की कोशीश की और उक्त सामलाती आराजी मे निर्माण व रहन बैय मुन्तकिल करने की धमकी दी बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।
7. यह है कि मिन प्रार्थीनी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, अगर अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीनी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, इसलिये मिन प्रार्थीनी अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है।
8. यह है कि प्रार्थना पत्र में प्राईमाफेसाई केश बहक प्रार्थीनी के पक्ष में है, तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है, तथा नापूर्ती होने वाली क्षति भी बहक प्रार्थीनी है, इसलिये प्रार्थीनी अप्रार्थीगण को पाबंद कराने की अधिकारणी है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 122/0.56 है0, 124/0.59 है0, 128/0.59 है0, 129/0.82 है0, 123/0.44 है0, 87/0.50 है0, 113/0.01 है0, 114/0.01 है0, 115/0.54 है0, 112/0.56 है0, वाके ग्राम खुशालबास तहसील मुण्डावर को दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल ना करे ना मिन प्रार्थीनी को बेदखल करे ना मिन प्रार्थीनी के उपयोग और उपभोग में बाधा डाले ना काश्त करने में रूकावट पैदा करे ना कोई निर्माण करे रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा अप्रार्थीगण सं० 11 व 12 को पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेज तस्दीक व पंजीबद्ध ना करे तथा अप्रार्थी सं० 13 व 14 को पाबंद किया जावे कि वो उक्त

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आराजी में कोई विधुत कनैक्शन जारी ना करे। पाबंद किया जावे। हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र ओदश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा० दी० व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मिन अप्रार्थी सं0 1 ल0 3 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थीनी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्राथर्थीनी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थीनी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 3 बाबत आराजी है जो वाके ग्राम खुशालबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है, शेष कोई विवाद आराजी पर नहीं है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 गलत है स्वीकार नहीं है। क्योंकि उक्त आराजी मौके पर बंहामी बंटवारा वक्त खरीद से अलग अलग कर रखा है अलग अलग हिस्से पर अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है मौके पर रिहायस कर रखी है तथा बोरिंग विधुत कनैक्शन अलग अलग जारी है, इसलिये प्रार्थीनी किसी भी सूरत में पुनः बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 गलत है स्वीकार नहीं है। मिन अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 राजस्व रिकोर्ड के मुताबिक अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है कोई विवाद आराजी पर नहीं है। प्रार्थीनी ने महज मिन अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है, स्वंय प्रार्थीनी ने अपने हिस्से में जो आराजी आयी हुयी है उस पर रिहायस कर रखी है तथा मिन अप्रार्थी अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज है रिहायस कर रखी है विधुत कनैक्शन जारी करा रखा है।
6. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 6 गलत है स्वीकार नहीं है। मिन अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 अपने हिस्सा जो बंहामी बंटवारा में आयी हुयी है उस पर काश्त कार्य कर रहे है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है मिन अप्रार्थी उक्त आराजी का सहहिस्सेदार है और सहहिस्सेदार को काश्त कार्य करने से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीनी को कोई किसी प्रकार की हानि मिन अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 से नहीं हो रही है।
8. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 8 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीनी को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त कथन

1. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं० 13 व 14 विधुत विभाग को प्रार्थीनी ने पक्षकार बनाया है और प्रार्थना पत्र में विधुत कनैक्शन की बाबत रिलीफ चाहा गया है कानूनन विधुत कनैक्शन से संबंधित रिलीफ सिविल

सहायक कलक्टर (का०प्र०)
मुण्डावर (सौंथल-बिजवा)

नेचर का होता है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र में विधुत कनैक्शन से संबंधित रिलीफ राजस्व अदालत से प्राप्त नहीं किया जा सकता इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

2. यह है कि विधुत कनैक्शन संबंधित विवाद सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।
3. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी में मिन अप्रार्थी सं० 3 के नाम सन् 2009 से कृर्षि कनैक्शन लगा हुआ है जिस बोरिंग में पानी सूख गया अब अप्रार्थी उक्त विधुत कनैक्शन को अप्रार्थी सं० 1 जो अप्रार्थी सं० 3 की पत्नी है उसके नाम कराकर दूसरी बोरिंग में शिफ्ट करा रहे है शेष कोई विवाद नहीं है प्रार्थीनी ने मिन अप्रार्थी के कृर्षि विधुत कनैक्शन को शिफ्ट नहीं करने बाबत गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र दायर किया है जो काबिल खारिज है खारिज किया जावे।
4. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी बैंक में रहन रखी हुयी है तथा प्रार्थीनी ने बैंक को पक्षकार नहीं बनाया जिस कारण प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज किया जावे।
5. यह है कि प्रार्थीनी ने महज मिन अप्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज किया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की बहस

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पूर्णतः विधिसम्मत, न्यायोचित एवं विचारणीय है। मेरे तर्क निम्न प्रकार हैं–

सामलात खातेदारी एवं विधिक स्थिति

माननीय महोदय, विवादित आराजी आज भी राजस्व अभिलेखों में सामलात खातेदारी में दर्ज है। किसी भी सक्षम राजस्व न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आज तक विधिवत बंटवारा नहीं किया गया है। केवल मौखिक अथवा कथित मौके का बंटवारा कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है। विधि का स्पष्ट सिद्धांत है कि जब तक विधिसम्मत तखसीम न हो, प्रत्येक सहखातेदार का सम्पूर्ण भूमि पर संयुक्त अधिकार एवं कब्जा माना जाता है।

प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case)

प्रार्थी द्वारा जमाबंदी, शपथ–पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि–प्रार्थी सहखातेदार है, भूमि अविभाजित है, अप्रार्थी भूमि में निर्माण, रहन–बैय एवं हस्तांतरण का प्रयास कर रहे हैं।

अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट रूप से स्थापित है।

बेदखली एवं हस्तक्षेप की आशंका

माननीय महोदय, दिनांक 28–03–2023 को अप्रार्थीगण ने साजिशपूर्वक प्रार्थी को काश्त से रोकने तथा बेदखल करने का प्रयास किया। यह घटना ही

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (सौरथल–बिजवा)

विवाद का मूल कारण है। सहखातेदारी भूमि में किसी एक सहखातेदार को दूसरे को बलपूर्वक रोकने का अधिकार नहीं है।

निर्माण व रहन–बैय से अपूरणीय क्षति

यदि अप्रार्थी भूमि पर निर्माण, बैंक में रहन या तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित कर देते हैं, तो विवाद अत्यधिक जटिल हो जाएगा और प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में संभव नहीं है।

सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience)

प्रार्थी एक गरीब महिला है और केवल अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा चाहती है। यथास्थिति बनाए रखने से अप्रार्थी को कोई विशेष हानि नहीं होगी, जबकि निषेधाज्ञा न देने पर प्रार्थी को भारी नुकसान होगा। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

विद्युत कनेक्शन संबंधी आपत्ति का खंडन

अप्रार्थी यह तर्क दे रहे हैं कि विद्युत कनेक्शन सिविल विषय है। माननीय महोदय, प्रार्थी ने कोई स्वतंत्र सिविल राहत नहीं मांगी है, बल्कि केवल यह निवेदन किया है कि विवादित भूमि की स्थिति न बदली जाए। यह राजस्व न्यायालय के सहायक अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः आता है।

निष्कर्ष (प्रार्थी)

इन परिस्थितियों में, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि यथास्थिति बनाए रखने हेतु निर्माण, हस्तांतरण, रहन–बैय व बेदखली पर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाए।

अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की बहस

प्रार्थना–पत्र पूर्णतः निराधार, तथ्यहीन एवं दुर्भावनापूर्ण है। इसे निम्न आधारों पर खारिज किया जाना उचित है–

वास्तविक स्थिति – बंहामी/आपसी बंटवारा

माननीय महोदय, विवादित आराजी का आपसी बंटवारा वर्षों पूर्व हो चुका है। सभी पक्ष– अपने–अपने हिस्से पर पृथक–पृथक काश्त कर रहे हैं, रिहायशी निर्माण कर रखा है, अलग–अलग बोरिंग एवं विधुत कनेक्शन पहले से मौजूद हैं। यह स्थिति लंबे समय से निर्विवाद चली आ रही है।

प्रार्थी स्वयं कब्जे में है

प्रार्थी स्वयं अपने हिस्से में काबिज है, वहां रिहायस कर रखी है। ऐसी स्थिति में बेदखली का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। केवल काल्पनिक आशंका के आधार पर निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती।

प्रथम दृष्टया मामला नहीं

प्रार्थी यह सिद्ध नहीं कर पाई कि अप्रार्थी उसके हिस्से में घुसपैठ कर रहे हैं, या उसे काश्त से वास्तव में रोका गया है। केवल सामलात प्रविष्टि अपने–आप में निषेधाज्ञा का आधार नहीं बनती, जब वास्तविक कब्जा पृथक–पृथक हो।

सहायक कलेक्टर (प्र०श्रे०)
भू०प्रबन्धक (खैरथल–तिजारा)

सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में
माननीय महोदय, यदि निषेधाज्ञा दी जाती है तो– वर्षों से चले आ रहे कब्जे व उपयोग में व्यवधान उत्पन्न होगा, विधुत कनेक्शन, कृषि कार्य व दैनिक जीवन प्रभावित होगा। इससे अप्रार्थी को अत्यधिक असुविधा होगी।

अपूरणीय क्षति का अभाव
प्रार्थी ने किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। यदि भविष्य में कोई अधिकार प्रभावित होता है तो उसके लिए वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं।

क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति
विद्युत कनेक्शन, उसके शिफ्टिंग व नामांतरण से संबंधित विवाद सिविल प्रकृति का है। राजस्व न्यायालय इस प्रकार की राहत प्रदान नहीं कर सकता। इस आधार पर भी प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है।

दुर्भावना एवं दुरुपयोग
माननीय महोदय, प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र केवल अप्रार्थियों को परेशान करने एवं दबाव बनाने के उद्देश्य से दायर किया है। यह न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

निष्कर्ष (अप्रार्थी)
अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी न तो प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध कर पाई है, न सुविधा का संतुलन, न अपूरणीय क्षति।
इसलिए प्रार्थना–पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जाए।

न्यायालय का विवेचन
न्यायालय द्वारा प्रकरण के अभिलेख, प्रस्तुत दस्तावेजों तथा दोनों पक्षों की बहस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।
यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु प्रार्थी को निम्न तीन आवश्यक तत्व सिद्ध करने होते हैंकृ
(i) प्रथम दृष्टया मामला,
(ii) सुविधा का संतुलन,
(iii) अपूरणीय क्षति।

(क) प्रथम दृष्टया मामला
यद्यपि राजस्व अभिलेखों में भूमि सामलात खातेदारी में अंकित है, परंतु अप्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पक्षकार वर्षों से अपने–अपने निश्चित हिस्सों पर पृथक–पृथक काश्त एवं रिहायस कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि वर्तमान में अप्रार्थी उसके हिस्से में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला इस स्तर पर सुदृढ़ प्रतीत नहीं होता।